प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष- 2022 प्र0इ0रि0 सं. 474/2022 दिनांक 15/12/2022

2. (I) अधिनियमः-धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित)अधिनियम 2018
   (II) अधिनियम ..... धारायें .....
   (III) अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ..... (अ)

3. रोजनामचा आम रपट संख्या .....287 समय .....6:30 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन-बुधवार, दिनांक 14.12.2022 समय 01.50 पीएम
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 09.12.2022 समय 03.00 पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :-पटवार भवन, ग्राम सेवा, तह. मौजमाबाद, जिला जयपुर।
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब पश्चिम दिशा करीब 90 किमी
   (ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-
   (अ) नाम- श्री राकेश कुमार सैनी
   (ब) पिता/पति का नाम- श्री रामनारायण सैनी,
   (स) जन्म तिथी- उम्र-36 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता- भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय -प्राईवेट
   (ल) पता- निवासी ग्राम सेवा, तहसील दूदू, जिला जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -
श्री मांगीलाल मीना पुत्र श्री सुखाराम मीना, उम्र 34 साल निवासी इन्दिरा गांधी नगर, वार्ड नं0 09, खातीपुरा, पुलिस थाना खो-नागोरियान, जगतपुरा, जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का ग्राम पंचायत सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य-10,000 रूपये लिप्त सम्पति

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 09-12-2022 को परिवादी श्री राकेश कुमार सैनी पुत्र श्री रामनारायण सैनी, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम सेवा, तहसील दूदू, जिला जयपुर ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि'' सेवामे, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्योरो जयपुर देहात, विषय-ग्राम-सेवा, तह. दूदू के पटवारी द्वारा रिश्वत मांगने के क्रम में। महोदय निवेदन है कि मेरे पिताजी को गांव मे परसा के नाम से जानते है, जबकि सरकारी रिकॉड में उनका नाम रामनारायण है, हमारी पुस्तेनी जमीन मे भी मेरे पिताजी का नाम रिकॉड मे परसा दर्ज हो गया था इस नाम की जगह जमीन के रिकॉड मे रामनारायण दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का सेवा की रिपोर्ट करवाने हेतु पटवारी मांगीलाल से सम्पर्क किया तो उसने रिश्वत के रूप मे एक गड्डी नोटो की देने के लिए कहाँ है। हमने रिश्वत नही दी, इसलिए करिब एक महिने बाद भी उसने रिपोर्ट नही दी है, पटवारी ने

हमारी गांव के जीतराम सैनी से मुझे फोन करवाया, जिसने मुझे पटवारी से जल्दी मिलने के लिए कहा है। मै उक्त पटवारी को मेरे जायज काम के लिए रिश्वत नही देना चाहता हूं। अत:कारवाईकरने की कृपा करें। 9/12/2022 प्रार्थी एसडी/- राकेश कुमार सैनी S/o रामनारायण सैनी निवासी ग्राम-सेवा, तह. दूदू, जिला जयपुर (राज.) मो. 9252238766''

दिनांक 14-12-2022 को मन् पुलिस निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह ब्यूरो स्टॉफ मय स्वतंत्र गवाह मय आवश्यक सरकारी ट्रेप बॉक्स, यूपीएस, लेपटॉप, प्रिन्टर आदि के सरकारी वाहन व मोटर साईकिल व प्राईवेट वाहनो से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर ग्राम सेवा के पास पहूंचे। जहां पर परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी द्वारा दिए गए रिश्वत मे 10,000/- रूपये पर श्री ओमप्रकाश कानि0 नं0 85 से फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाया गया जिसकी फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टांत व सुपुर्द डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गई एवं ग्राम सेवा पटवार भवन के आस पास पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया।

समय 01.50 पीएम पर परिवादी श्री राकेश कुमार सैनी पुत्र श्री रामनारायण सैनी निवास ग्राम सेवा, तहसील दूदू, जिला जयपुर ने पटवार घर ग्राम सेवा के बाहर से अपनी आंखो पर लगा नजर का चश्मा उतारकर निर्धारित ईशारा। परिवादी का ईशारा पाते ही मन् पुलिस निरीक्षक मय आस पास खड़े स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टॉफ को साथ लेते हुए परिवादी श्री राकेश कुमार सैनी के पास पहूंचा। परिवादी को पूर्व मे सुपुर्द किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि मै पटवार घर मे आया तब पटवारी श्री मांगीलाल जी व जीतराम जी पटवार घर मे थे मैने पटवारी श्री मांगीलाल से राम-राम किया। इसके बाद मैने पटवारी जी से पटवार भवन के कमरे मे खड़े खड़े मेरे काम की बातचीत की। उसके बाद पटवारी जी मुझे पटवार भवन के बरामदे/चौक मे ले गया। इसके बाद पटवारी जी ने इसके बाद मुझे कहा कि आपका काम तैयार है मेरे काम के बदले पटवारी जी ने 40,000/- रूपये की रिश्वत की मांग की इस पर 30,000/- रूपये देना तय हुआ। इस पर मैने कहा कि 10,000/- रूपये लाया हूं वह तो ले लो बाकी बाद मे दे दूंगा। इस पर पटवारी जी के कहने पर मैने मेरी जेब से 10,000/- रूपये रिश्वत के रूप मे निकालकर दिए मेरे द्वारा रूपये देने पर पटवारी जी ने अपने हाथ मे लेकर रूपये गिनकर अपने पहने हुए जेकेट की बांयी जेब मे रख लिए थे। इसके बाद मेने पटवार घर के गेट से बाहर आकर निर्धारित ईशारा कर दिया था। इस पर परिवादी को साथ लेते हुए पटवार घर के अन्दर प्रवेश हुआ तो पटवार घर के अन्दर कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही मांगीलाल जी पटवारी है इन्होने अभी-अभी मेरे पिताजी के नाम का रेवेन्यू रिकार्ड मे शुद्वीकरण करवाने की ऐवज मे 10,000/- रूपये रिश्वत के मुझसे अपने हाथो मे प्राप्त कर अपनी जेकेट की बांयी जेब मे रखे है। इस परिवादी के बतायेनुसार व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मांगीलाल मीना पुत्र श्री सुखाराम मीना, उम्र 34 साल निवासी इन्दिरा गांधी नगर, वार्ड नं0 09, खातीपुरा, पुलिस थाना खो-नागोरियान, जगतपुरा, जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का ग्राम पंचायत सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर होना बताया। श्री मांगीलाल मीना पटवारी से परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वती राशि 10,000/- रूपये बाबत पूछा तो श्री मांगीलाल मीना पटवारी घबरा गया और परिवादी की तरफ ईशारा कर बताया कि यह व्यक्ति अभी-अभी कुछ समय पहले मेरे पास आया था और मुझे कहा था कि मेरे काम के कितने रूपये लोगे मैने कहा कि काम तैयार है आपके पिताजी ने जमाबंदी लाने मे देर कर दी। मैने इस व्यक्ति से कोई रूपये पैसे नही मांगे है यह व्यक्ति जबरदस्ती इन्होने मेरी जेकेट की जेब मे रख दिए है। इस पर परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए बताया कि पटवारी जी झूंठ बोल रहे है मेरे पिताजी ने करीब दो माह पहले कागजात इनसे पूर्व मे पदस्थापित रहे पटवारी को दे दिए थे उसके बाद मै पूर्व पदस्थापित पटवारी का स्थानान्तरण हो जाने पर मै वर्तमान पटवारी श्री मांगीलाल जी से मिला तो इन्होने बिना रिश्वत के मेरा काम नही किया था। आज जब मै इनसे मेरे काम के सिलसिले मे मिला तो इन्होने मेरे पिताजी का रेवेन्यू रिकार्ड मे नाम शुद्वीकरण करने की ऐवज में 40,000/- रूपये की मांग की थी उसके बाद 30,000/- रूपये रिश्वत राशि मे काम करना तय हुआ। इस पर मेने पटवारी जी को कहा कि अभी तो मै 10,000/- रूपये लाया हूं ये तो ले लो बाकी बाद मे दे दूंगा। श्री मांगीलाल मीना पटवारी जी ने रिश्वत के रूपये मुझसे मांग कर अपने हाथो मे प्राप्त कर अपनी जेकेट की बांयी जेब मे रखे है।

तत्पश्चात् पटवार घर मे रखी प्लास्टिक की बोतल मे पटवार भवन के बाहर बनी हुई टंकी से प्लास्टिक की बोतल मे साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो कांच के गिलास निकलवाकर उन गिलासो को पुन: साबुन पानी से साफ करवाया जाकर दोनो गिलासो में प्लास्टिक

बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक-एक चम्मच सेाडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा एक कांच के गिलास के घोल मे श्री मांगीलाल मीना पटवारी के बांये हाथ की अंगूलिया व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरनी ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल-1, एल-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रक्रियानुसार दुसरे कांच के गिलास के घोल मे श्री मांगीलाल मीना पटवारी के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे के बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर-1, आर-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् परिवादी से रिश्वती राशि 10,000/- रूपये श्री मांगीलाल मीना पटवारी ने अपने हाथ मे लेकर अपनी बदन पर पहनी हुई जेकेट की बांयी जेब मे रखना बताया है। इस पर स्वतंत्र गवाह राधेश्याम बैरवा से श्री मांगीलाल मीना पटवारी के बदन पर पहनी हुई जेकेट की बांयी जेब की तलाशी लिवाई गई तो जेकेट की बांयी जेब मे एक पांच पांच सौ रूपये के नोटो की गड्डी मिली है जिसको स्वतंत्र गवाह श्री राधेश्याम से गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000-/ रूपये मिले है जिनका मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त 10,000/- रूपये को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

दर्ज रहे कि आरोपी श्री मांगीलाल मीना पटवारी ने परिवादी से रिश्वती राशि 10,000/- रूपये अपने हाथ मे लेकर अपने बदन पर पहनी हुई जेकेट की बांयी जेब मे रखे है ऐसी स्थिति मे आरोपी के जेकेट की बांयी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक है।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसमे पटवार भवन मे रखी प्लास्टिक की बोतल मे भरे साफ पानी से उक्त गिलास को पुनः साबुन पानी से धुलवाकर उसमे प्लास्टिक की बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् श्री मांगीलाल मीना पटवारी के बदन से उतरवाए गए जेकेट की बांयी जेब को उलटवाकर बारी-बारी से डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क जे-1, जे-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा जेकेट की बांयी जेब को सुखवाकर जेकेट को एक कपड़े की थैली मे रखकर सील चिट मोहर कर कपड़े की थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-जे अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज के बारे मे पटवारी श्री मांगीलाल मीना से पूछा गया तो पटवारी श्री मांगीलाल पटवारी ने बताया कि परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेजात मेरे बैग मे रखे है जो बैग यही रखा हुआ है इस पर श्री मांगीलाल मीना ने पटवार भवन मे रखे एक बैग मे से परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली निकालकर पेश की। जिसका अवलोकन किया गया। इसी बीच मे एक व्यक्ति पटवार भवन मे आया जिसके बारे मे पटवारी से जानकारी चाही तो पटवारी श्री मांगीलाल मीना ने बताया कि यह गिरदावर जी श्री रंगबिहारी जी है इस पर मौके पर उपस्थित गिरदावर श्री रंग बिहारी को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं हमराहीयान व स्वतंत्र गवाहान का परिचय दिया जाकर पूरा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रंग बिहारी पुत्र श्री जगदीशनारायण, जाति माली, उम्र 54 साल निवासी निम्बाहेड़ा, तह. फागी, जिला जयपुर हाल गिरदावर पटवार हल्का सेवा, तह. मौजमाबाद, जिला जयपुर होना बताया। जिस पर श्री रंग बिहारी गिरदावर को पटवारी के कब्जे से ली गई पत्रावली सुपुर्द कर उसकी फोटो प्रति प्रमाणित कर पेश करने हेतु सुपुर्द की गई। जिसकी फोटो प्रमाणित प्रति आने पर जरिये फर्द जप्ती पृथक से प्राप्त की जावेगी।

विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता सुना गया तो पटवारी द्वारा 40,000/- रूपये रिश्वत की मांग करना तथा परिवादी

द्वारा कहा गया कि यह तो ज्यादा है इस पर पटवारी द्वारा 30,000/- रूपये मांगना जिस पर परिवादी द्वारा 10,000/- रूपये रिश्वत के मौके पर देना तथा 20,000/- रूपये बाद मे देने संबंधित वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है जिनकी नियमानुसार सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई।

परिवादी से अन्य व्यक्ति श्री जीतराम की वार्ता के बारे मे पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि यह मेरे गांव का ही व्यक्ति है यह तो मेरा काम करवाने की ही पटवारी से बात कर रहा है मेरे द्वारा दी गई रिश्वत की राशि मे इसका कोई लेना देना नही है।

अब तक की कार्यवाही से श्री मांगीलाल मीना पुत्र श्री सुखाराम मीना, उम्र 34 साल निवासी इन्दिरा गांधी नगर, वार्ड नं0 09, खातीपुरा, पुलिस थाना खो-नागोरियान, जगतपुरा, जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का ग्राम पंचायत सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ने परिवादी श्री राकेश कुमार सैनी पुत्र श्री रामनारायण सैनी निवास ग्राम सेवा, तहसील दूदू, जिला जयपुर के द्वारा ग्राम सेवा मे पुस्तैनी जमीन मे उसके पिताजी का नाम परसा अंकित हो गया था जबकि रेवेन्यू रिकार्ड मे परिवादी के पिता का नाम रामनारायण है जिसका रेवेन्यू रिकार्ड मे नाम शुद्वीकरण करवाने की ऐवज में आज दिनांक 14-12-2022 को परिवादी से रिश्वत मांग एवं लेन देन के समय 40,000/- रूपये की मांग करना एवं 30,000/- रूपये रिश्वती राशि मे काम करना तय होना एवं परिवादी द्वारा यह कहना कि अभी 10,000/- रूपये लाया हूं वो तो ले लो इस पर परिवादी ने रिश्वत के 10,000/- रूपये निकालकर पटवारी श्री मांगीलाल मीना को दिए तो उन्होने अपने हाथ मे लेकर अपने बदन पर पहनी हुई जेकेट की बांयी जेब मे रख ना व रिश्वती राशि 10,000/- रूपये जेकेट की बायी जेब से बरामद होना पाया गया है जिससे इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 का पाया जाने पर आरोपी श्री मांगीलाल मीना पुत्र श्री सुखाराम मीना, उम्र 34 साल निवासी इन्दिरा गांधी नगर, वार्ड नं0 09, खातीपुरा, पुलिस थाना खो-नागोरियान, जगतपुरा, जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का ग्राम पंचायत सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। श्री मांगीलाल मीना पटवारी के पटवार भवन व उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमे ग्राम पंचायत के दस्तावेजात के अलावा कोई भी आपत्तिजनक दस्तावेजात, रूपया पैसा नही मिले है। अत: पटवार भवन में उपलब्ध समस्त दस्तावेजात व पटवार भवन की चाबिया मौके पर मौजूद श्री रंगबिहारी गिरदावर, पटवार भवन ग्राम सेवा, तह. मौजमाबाद, जिला जयपुर को सुपुर्द किया गया।

मौके पर जीतराम नाम का व्यक्ति तलब शुदा उपस्थित आया। जिससे परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिकार्ड हुई वार्ता के संबंध में पूछताछ कर स्पष्टीकरण लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी द्वारा पूर्व में जीतराम के बारे मे बताई गई बातो से एवं स्पष्टीकरण से श्री जीतराम का उक्त प्रकरण में कोई संलिप्तता नही पाई गई है।

अत: आरोपी श्री मांगीलाल मीना पुत्र श्री सुखाराम मीना, उम्र 34 साल निवासी इन्दिरा गांधी नगर, वार्ड नं0 09, खातीपुरा, पुलिस थाना खो-नागोरियान, जगतपुरा, जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का ग्राम पंचायत सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(मानवेन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मानवेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मांगीलाल मीना पुत्र श्री सुखाराम मीना, पटवारी, पटवार हल्का ग्राम पंचायत सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 474/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 4049-52 दिनांक 15.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

15.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।